

पंजीयन प्रमाण पत्र
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

पंजीयन क्रमांक/I/516427/2026/टीसी/ TNCP/11/0169/2026 भोपाल, दिनांक 24-07-2026

**विकासकर्ता (डेवलपर) के रूप में पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश एकीकृत
टाउनशिप नियम, 2026 के नियम 4 (6) के अधीन**

मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, CREPUSCULAR REALTY LLP तर्फे अधिकृत पार्टनर श्री बालकृष्ण पटेल पिता राधेश्याम पटेल फर्म का पता - 323, बी तुलसी नगर इंदौर राज्य मध्यप्रदेश को निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन विकासकर्ता (डेवलपर) के रूप में पंजीकृत किया जाता है, अर्थात:-

1. यह पंजीयन, जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए , मध्य प्रदेश राज्य में विधिमान्य होगा।
2. टाउनशिप के विकास की अनुमति, प्रत्येक टाउनशिप के लिए पृथक रूप से साधिकार समिति से प्राप्त करनी होगी।
3. मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के अधीन प्रस्तुत जानकारी गलत पाई जाती है, तो पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त किया जावेगा।
4. पंजीयन सम्पूर्ण राज्य के लिए विधि मान्य होगा।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल